

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 905/2022(धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

पिरामल कैपिटल एण्ड हाऊसिंग फाईनेन्स लिमिटेड (पूर्व नाम दीवान हाऊसिंग फाईनेन्स कारपोरेशन
लिमिटेड)शाखा कार्यालय-302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एम.आई. रोड, जयपुर, राजस्थान।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. संजय सिंह
पता- प्लॉट नं. 62, शान्ति नगर, खिरणी फाटक, शान्ती नगर पार्क के पास, जयपुर।
पता-बिल्डकोन कमला एनक्लेव, एफ 4, सिरोहिया बिल्डिंग, झोटवाड सर्किल, सरकारी हास्पीटल
के पास, जयपुर
फ्लेट नं. एफ 4 प्रथम तल, माया मून कमला एनक्लेव, एफ 4, ग्राम झोटवाडा, खातीपुरा रोड, प्रेम
नगर के पास, जयपुर।
2. भवर सिंह राठौड
3. श्रीमती सुमन कंवर
पता- प्लॉट नं. 62, शान्ति नगर, खिरणी फाटक, शान्ती नगर पार्क के पास, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं सहऋणी



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002.

उपस्थित:-श्री विनोद खाण्डल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 23.01.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक
20.06.2018 को पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थी श्री संजय सिंह, भवर सिंह एवं सुमन कंवर के
स्वामित्व की सम्पत्ति आवासीय फ्लेट नम्बर एफ-4, प्रथम तल, माय मून कमल एनक्लेव, ग्राम
झोटवाडा खातीपुरा मोड, प्रेम नगर के पास, जयपुर क्षेत्रफल 665 वर्गफिट को बन्धक रख कर
16,25,532/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय
संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी
ऋणी को दिनांक 22.02.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने
के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The
application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act, 2002की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने
पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद
उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

५०
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्थान ने अप्रार्थीगणों को 16,25,532/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 17,75,993/-रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 22.02.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
6. अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री संजय सिंह, भवर सिंह एवं सुमन कंवर के स्वामित्व की सम्पत्ति आवासीय फ्लैट नम्बर एफ-4, प्रथम तल, माय मून, कमल एनक्लेव, ग्राम झोटवाडा खातीपुरा मोड, प्रेम नगर के पास, जयपुर क्षेत्रफल 665 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें।



आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 23.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

५०१
(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला माजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर